खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय
भ्द्द अभियंत्रण छायावास सं0–02, धुर्वा रांची

संख्या–1071 **दिनांक– 03.11.2017**

''निविदा''

खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, झारखण्ड, राँची द्वारा निदेशक हेतु भाड़े पर एक वाहन लिये जाने हेतु फर्मों/वाहन मालिकों से वाहन के मासिक किराये का दर निर्धारण हेतु मुहरबंद निविदा दिनांक– 20.11.2017 को अपराह्न 2.00 बजे तक निदेशक, खाद्य,एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, झारखण्ड, रांची के नाम से आमंत्रित की जाती है।

2. वाहन का प्रकार निम्नवत होगा :–
   टाटा जेस्ट/इंडीगो CS/मारूती स्विफ्ट डिजायर(AC सहित)
3. निविदा दो लिफाफे में देना होगा। एक लिफाफे में तकनीकी निविदा (सारे कागजातों के साथ) तथा दूसरे लिफाफे में वित्तीय निविदा देना अनिवार्य होगा।

तकनीकी निविदा

i. तकनीकी निविदा के साथ निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय झारखण्ड, रांची के नाम से 3000/– रूपये का बैंक ड्राफ्ट अग्रधन राशि के रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा।
ii. वाहन का निबंधन दिनांक 01.12.2016 से पूर्व का नहीं होना चाहिए। तत्संबंधी वाहन निबंधन का स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
iii. तकनीकी निविदा के साथ बीमा भुगतान की रसीद एवं पथ कर भुगतान की रसीद की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा।
iv. फर्म/ऐजेंसी की स्थिति उसे निबंधित होना चाहिए। तत्संबंधी स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
v. तकनीकी निविदा के साथ आयकर पैन संख्या की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा।
vi. तकनीकी निविदा के साथ निविदादाता को सरकारी कार्यालय में भाड़े पर वाहन देने संबंधी न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव प्रमाण–पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा।
vii. निविदादाता को सारी सामान्य शर्ते स्वीकार होने का शपथ पत्र (Affidavit) तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

निविदा

वित्तीय निविदा में नीचे अंकित विवरण अनुसार वाहन का मासिक किराया (सभी कर सहित तथा चालक के पारिश्रमिक, ईंजन ऑयल इत्यादि तथा ईंधन सहित) अंकित करना आवश्यक है।

क्रमांक	वाहन का प्रकार	मॉडल नं0	कार्य दिवसों की संख्या	मासिक किराया दर (ईंधन तथा अन्य खर्चो सहित) (बेस किलो मीटर 2000 किलो मीटर)	2000 किलोमीटर के अतिरिक्त प्रति किलोमीटर का दर
01			पूर्ण माह		

उपरोक्त विवरण केवल वित्तीय निविदा के सीलबंद लिफाफे में ही दिया जायेगा। निविदादाता को वित्तीय बिड में राशि अंक में तथा शब्दों में अंकित करना होगा। यदि अंकित अंक तथा शब्द के बीच किसी प्रकार की भिन्नता पायी जाती है तो शब्द में अंकित राशि मान्य होगी।

<u>निविदा की सामान्य शर्ते</u> :–

i. झारखण्ड सरकार के परिवहन विभाग द्वारा केवल व्यावसायिक रूप से निबंधित वाहन ही किराये पर लिया जा सकेगा।
ii. ईंधन की आपूर्ति निविदादाता को करना होगा।
iii. चालक का अद्यतन ड्राइविंग लाईसेंस (LMV का) होना चाहिए।
iv. वाहन में किसी प्रकार की खराबी होने पर आपूर्तिकर्ता को अविलंब उसी प्रकार के वाहन की वैकल्पिक व्यवस्था दो घंटो के अंदर करनी होगी। यदि आपूर्तिकर्ता वाहन उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं होगा तो निदेशालय को अधिकार होगा कि वह किसी अन्य एजेंसी से तत्काल भाड़े पर वाहन ले तथा उसका पूरा व्यय आपूर्तिकर्ता को करना होगा।
v. वाहन उपयोग के दौरान वाहन चालक अथवा वाहन को किसी प्रकार की दुर्घटना से होने वाले क्षति का दायित्व राज्य सरकार/ निदेशालय का नहीं होगा।
vi. अनुबंध के समय आपूर्तिकर्ता को लिखित अंडरटेकिंग समर्पित करना होगा कि चालक का भुगतान उनके द्वारा किया जायेगा।
vii. सफल निविदादाता को एकरारनामा संपादित होने के एक सप्ताह के अंदर वाहन की आपूर्ति करनी होगी। यदि निविदादाता वाहनों की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं होगे तो उनका अनुबंध/एकरारनामा समाप्त कर दिया जायेगा तथा उनकी अग्रधन राशि जब्त कर ली जायेगी।
viii. वैसे निविदादाता जिनकी निविदा अस्वीकृत हो जाती है, को उनके द्वारा जमा अग्रधन राशि वापस कर दी जायेगी।
ix. भाड़े पर दिये जाने वाले वाहन पूर्व में दुर्घटनाग्रस्त नहीं होना चाहिए। वाहन यांत्रिक रूप से सही होना चाहिए तथा सही तथा सुरक्षित दशा में होना चाहिए।
x. आपूर्तिकर्ता को प्रत्येक वाहन का प्रतिदिन के प्रविष्टियों का लॉग बुक संधारण करना होगा (यथा आरंभ कि0मी0 रीडिंग, अंत कि0मी0 रीडिंग, कुल तय की गयी दूरी, आरंभ समय तथा अंत समय प्रतिदिन)। वाहन के प्रत्येक परिचालन पर चालक एवं वाहन उपयोग करने वाले पदाधिकारी/कर्मचारी का हस्ताक्षर अंकित होना चाहिए।
xi. वाहन में किसी प्रकार की मरम्मति एवं रख–रखाव आपूर्तिकर्ता को स्वयं करनी होगी।
xii. वाहन से संबंधित सारे कागजात चालक के जिम्मे होना चाहिए।
xiii. यदि कोई चालक अपने कर्तव्य पर उपस्थित नहीं होता है तो आपूर्तिकर्ता को उसके स्थान पर अविलंब अन्य किसी चालक की सुविधा उपलब्ध करानी होगी। यदि दूसरे चालक द्वारा रिपोर्ट करने में विलंब होता है तो प्रति घंटा 200/– रूपये की दर से भुगतान में कटौती की जायेगी। यदि चालक द्वारा पूरे दिन में रिपोर्ट नहीं किया जाता है तो वैसी स्थिति में पूरे दिन हेतु 1500/– रूपये की कटौती भुगतान में से की जायेगी।
xiv. चालक का आचरण अपराध रहित होना चाहिए। निदेशालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर चालक का पुलिस वेरिफिकेशन कराया जा सकता है। चालक को स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए।
xv. आपूर्तिकर्ता को चालक को कुछ नगद राशि सुलभ कराना होगा ताकि आकस्मिक परिस्थिति में वाहन में किसी प्रकार की खराबी होने पर चालक द्वारा उसकी अविलंब मरम्मति करा ली जाय।
xvi. वाहन के सुरक्षित रखने की सारी जिम्मेवारी आपूर्तिकर्ता की होगी।
xvii. वाहन का उपयोग सामान्यता कार्य दिवसों में किया जायेगा। परन्तु आवश्यकता पड़ने पर वाहन का उपयोग किसी भी समय (अवकाश के तिथियों सहित) किया जा सकता है।
xviii. वाहन अथवा वाहन चालक को बदलने से पूर्व आपूर्तिकर्ता को सक्षम पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी तथा बिना अनुमति के आपूर्तिकर्ता द्वारा चालक अथवा वाहन को नहीं बदला जायेगा।

xix. वाहन के आगे तथा पीछे भाग में निदेशालय का बोर्ड आपूर्तिकर्ता को अपने खर्च पर लगाना होगा।

xx. प्रत्येक सप्ताह आपूर्तिकर्ता को वाहन में लगे तौलिया का धुलाई कराना होगा।

xxi. वाहन में साफ तौलिया, रेडियो, कार परफ्यूम, मोबाईल चार्जर उपलब्ध रहना चाहिए तथा मानसून समय में वाहन में छाता की सुविधा उपलब्ध रहनी चाहिए।

xxii. चालक की सेवा संतोषप्रद नहीं रहने की स्थिति में आपूर्तिकर्ता को चालक को बदलना होगा।

xxiii. बिना कारण बताये निविदा को अधोहस्ताक्षरी द्वारा रद्द किये जाने का अधिकार सुरक्षित होगा।

xxiv. निदेशालय द्वारा निर्धारित मासिक किराया के अलावे निविदादाता को अलग से किसी भी तरह की राशि देय नहीं होगी।

xxv. क्रय समिति द्वारा स्वीकृत यह निविदा सामान्यतः दो वर्ष अथवा अगले निविदा के अनुमोदित होने तक मान्य रहेगा। निदेशालय द्वारा अन्य विकल्प उपलब्ध होने पर निविदा समय से पूर्व भी समाप्त की जा सकती है।

xxvi. किसी वाहन के संतोषजनक परिचालन नहीं रहने की स्थिति में निदेशालय /कार्यालय प्रधान को विपत्र में से आवश्यक कटौती करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

<u>भुगतान का प्रकार</u>

i. आपूर्तिकर्ता को वाहनवार मासिक राशि भुगतान हेतु प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में पिछले माह का विपत्र (लॉग बुक के साथ) प्रस्तुत करना होगा।

ii. किसी वाहन के संतोषजनक परिचालन नहीं रहने की स्थिति में कार्यालय प्रधान को अधिकार सुरक्षित होगा कि संबंधित वाहन का मासिक या आंशिक भुगतान अवरूद्ध रखे।

iii. वाहनवार मासिक विपत्र से अनुमान्य आयकर तथा सरकार को देय करों की कटौती नियमानुसार की जायेगी।

ह0/–
निदेशक,
खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय,
झारखण्ड, राँची।